

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:-

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 105/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण हेतु 3.600 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

इस मार्ग के नव निर्माण की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 5726/111(2)/18-23 (एन०एल०ए०)/2017 टी०सी०II दिनांक 29.11.2018 द्वारा लम्बाई 3.00 किमी० हेतु लागत रू० 13.80 लाख (प्रथम चरण) की प्राप्त है (छाया प्रति संलग्न)।

यह मार्ग पूर्व निर्मित डोईवाला दूधली मुख्य जिला मार्ग-13 के किमी० 2.00 चैनज 1.250 से आरम्भ होकर चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक (लम्बाई 3.00 किमी०) एन०एच०-72 को जोड़ता है। कांवड यात्रा में चांदमारी एवं डोईवाला में घनी आवादी एवं बाजार होने के कारण स्थानीय निवासियों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय जनता को शिक्षा, चिकित्सा एवं आवश्यक सामग्री के आवागमन हेतु काजी सुविधा प्राप्त होगी एवं स्थानीय किसानों को कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी एवं विपणन में जो कठिनाई आती है, उसका समाधान स्वतः ही हो जायेगा, जिससे क्षेत्र का विकास तीव्रगति से होगा। इस संरेखण पर स्थानीय जनता का कोई विवाद नहीं है। साथ ही अन्य निकटवर्ती गाँव/तोक भी लाभान्वित होंगे, जिससे यह मार्ग इस क्षेत्र के लिये एक मुख्य मार्ग के रूप में विकसित होगा। अतः मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।

भूमि का प्रकार :-

वन पंचायत भूमि	-	0.000 है०
सिविल/समाज भूमि	-	0.300 है०
आरक्षित वन भूमि	-	3.300 है०
निजी भूमि	-	0.000 है०
कुल क्षेत्रफल	-	3.600 है०

वांछित क्षेत्रफल - 3.600 है०

उक्त प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग को 3.600 है० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

अपर सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
ऋषिकेश

अधिशायी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०,
ऋषिकेश